

बिहार सरकार,
कला एवं संस्कृति विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 03-09/2026

संख्या-4सं०/वि०2-09/2026-198/बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम-84 के तहत अपर निदेशक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय, पटना को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय, पटना का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
4. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(स्मिता कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...../2026

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक...../

पटना, दिनांक...../2026

प्रतिलिपि:- अपर निदेशक/सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1369/

पटना, दिनांक 03-09/2026

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक/संयुक्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा एवं बजट शाखा/आई०टी० प्रबंधक, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।